

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 263/2023
अनवान : -

1. उदाराम
2. फुलचन्द पुत्रगण भंवरलाल जाति माली निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम्

1. भंवरलाल पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
2. रोहित पुत्र नितूबाला पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवास सिरसा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3. रेणु पुत्री नितूबाला पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवास सिरसा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय

दिनांक: 29/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता स0 79/80 की कुल 3.2890 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण उक्त वाद भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी स0 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी स0 1 तीनों बहिब काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।



Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं अतः प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।


बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण उक्त वाद भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी स0 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी स0 1 तीनों बहिब काबिज है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता स0 79/80 की कुल 3.2890 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण उक्त वाद भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी स0 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी स0 1 तीनों बहिब काबिज है। लेकिन वादी द्वारा प्रतिवादी स0 2 ता 3 द्वारा अपने हक हिस्सा का त्याग किया गया है का केवल कथन किया गया है अपने कथनों के समर्थन


उक्त उज्ज्वलकारी
नोहर

नोहर
एवं सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकाारी (राजस्व)
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)



सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 29/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तत्पश्चात् तकमील जास्ता दाखिल दफतर हो। अपना अपना बहन करे। इसी आशय की पर्चा हिकी जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान रहन मुकत होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थान आदेश न हो तो ता 3 को बहिष के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो 2890 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादीगण व प्रतिवादी स० 1 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सन्वत 2076-79 के खाला स० 79/80 की कुल 3. वादी मुताबिक अर्जतोष आंशिक हिकी किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अतः बाद वादी साक्ष्य सर्तों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण बाद आधार पर आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार योग्य है। को बहिष के खातेदार काशतकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। बाद वादी साक्ष्य सर्तों के सहमति/दखरदायी पेश नहीं की है इसलिए उक्त बाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी स० 1 ता 3

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 263/2023
अनवान : -

1. उदाराम
2. फुलचन्द पुत्रगण भंवरलाल जाति माली निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

- वादी

बनाम्

1. भंवरलाल पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
2. रोहित पुत्र नितूबाला पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवास सिरसा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3. रेणु पुत्री नितूबाला पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवास सिरसा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1296 सन 2025 निर्णय दिनांक 29/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता स0 79/80 की कुल 3.2890 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...29/01/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर